

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

गोला का मंदिर, ग्वालियर-474005 फोन नं. 0751-2368107

परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु ई-निविदा सूचना

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वारा डेयरी संयंत्र बानमौर से मुरैना तथा जौरा मार्ग पर साँची दूध एवम् दुग्ध पदार्थ के परिवहन व वितरण कार्य हेतु परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु इच्छुक वाहन मालिकों (इन्सुलेटेड बॉडी) से online ई-निविदा दिनांक 11.09.2025 को दोपहर 2:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है-

क्र	निविदा का संक्षिप्त विवरण	कार्य अवधि	वाहन का प्रकार एवम् मॉडल	वाहन की क्षमता	निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभूति राशि
1	डेयरी संयंत्र बानमौर-मुरैना-जौरा प्रतिदिन 98 कि.मी.	3 वर्ष	इन्सुलेटेड वाहन 2020 या बाद का	न्यूनतम 1 टन	10,000/-

निविदा अवधि अनुबंध पूर्ण होने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में एक-एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी।

निविदा प्रपत्र ऑनलाईन www.mptenders.gov.in से रुपये 500.00 का भुगतान कर दिनांक 11.09.2025 दोपहर 01.30 बजे तक क्रय किय जा सकते हैं। ऑनलाईन निविदा www.mptenders.gov.in पर ही की जा सकेगी। उपरोक्त निविदाओं का विस्तृत विवरण एम.पी.सी.डी.एफ की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर भी देखा जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
ग्वालियर (म.प्र.)

**परिवहनकर्ता नियुक्ति
हेतु
ई—निविदा
वर्ष—2025—28**

1— डेयरी संयंत्र बानमौर—मुरैना—जौरा मार्ग

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
गोला का मंदिर, रेजीडेन्सी रोड़, मुरार, ग्वालियर—474005
दूरभाष क्रमांक— 0751—2368107
फैक्स नम्बर— 0751—2366981
E-mail : sales.gds@sanchidairy.com

निविदा प्रपत्र मूल्य रु. 500 /—

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

गोला का मंदिर, ग्वालियर, फोन नम्बर 0751-2368107

E-mail : sales.gds@sanchidairy.com

ई-निविदा

दुग्ध संयंत्र बानमौर से मुरैना-जौरा मार्ग साँची दूध एवम् दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता हेतु निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.sanchidairy.com पर भी उपलब्ध है।

निविदा फॉर्म ऑनलाईन भुगतान करके www.mptenders.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज में कोई भी संशोधन/परिवर्तन www.mptenders.gov.in पर ही अपलोड किया जाएगा।

क्रं	विवरण	परिवहनकर्ता कार्य हेतु
1	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 22.08.2025 दोपहर 02:30 बजे से
2	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 11.09.2025 दोपहर 02:30 बजे
3	ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 12.09.2025 दोपहर 02:30 बजे
4	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	ई.एम.डी. राशि रुपये 10,000/- ऑनलाईन भुगतान करें।
5	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रुपये 500/- (पांच सौ मात्र)
6	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मंदिर ग्वालियर
7	दुग्ध परिवहनकर्ता कार्य हेतु तकनीकी अर्हताएँ का प्रारूप एवं शर्तें	प्रपत्र 01 एवं 02
8	फाइनेंसियल बिड	प्रपत्र - 03 (केवल ऑनलाईन भरें)
9	निविदाकार का परिचय	प्रपत्र - 04
10	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र - 05

ई-निविदा फॉर्म भरते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- धरोहर राशि (EMD) केवल ऑनलाईन ही जमा की जावे।
- परिवहनकर्ता द्वारा ई-निविदा में आवश्यक दस्तावेजों को केवल ऑनलाईन ही अपलोड किए जावें।
- उपरोक्त तिथियों में यदि शासकीय अवकाश घोषित होता है तो आगामी कार्यालयीन दिवस में ई-निविदा खोली जावेगी।

प्रपत्र क्र.-01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
ग्वालियर

महोदय,

साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांकको दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः एतत् द्वारा ऑनलाईन जमा की गई ईएमडी राशि रु. 10,000/- (अक्षरी रु. दस हजार मात्र) की ऑनलाईन जमा कर दिये गये हैं।

तकनीकी अर्हताएँ

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण
1-	परिवहनकर्ता का नाम (संस्था / फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	समस्त चाहे गए दस्तावेजों को ऑनलाईन प्रस्तुत करें।
2-	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।	
3-	परिवहनकर्ता का आधार नंबर होना अनिवार्य है।	
4-	परिवहनकर्ता / फर्म / कंपनी की ओर से कोई अन्य बतौर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है तो इस बारे में फर्म / कंपनी की ओर से विधिवत अधिकार पत्र / पॉवर ऑफ एटोर्नी संलग्न करना अनिवार्य है।	
5-	निविदाकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य।	
6-	उपलब्ध वाहन का प्रकार जो स्वयं के नाम से पंजीकृत इंसुलेटेड वाहन मॉडल - 2020 या उसके बाद का होना अनिवार्य है। (वाहन खरीदने की स्थिति में तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। स्वयं के वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र की कॉपी	
7-	निविदाकर्ता का जी.एस.टी नंबर की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।	
8-	परिवहनकर्ता का FSSAI का पंजीयन आवश्यक है। (FSSAI उपलब्ध नहीं) होने की दशा में FSSAI हेतु आवेदन कर रसीद प्रस्तुत करना होगी।	
9-	ई.एम.डी. राशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य राशि।	
10-	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक	
11-	वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 का आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण	
12-	निविदाकार दुग्ध संघ का कर्मचारी / संचालक मण्डल सदस्य अथवा रिश्तेदार नहीं है। (इस बाबत रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)	
13-	निविदाकार को एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हो। (इस बाबत रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)	
14-	निविदाकार के विरुद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)	

नोट :-

- (1) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।
- (2) उपरोक्त समस्त दस्तावेजों की स्वः प्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन रूप से संलग्न करना अनिवार्य है। परिवहनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज स्वीकृत होने पर समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ कार्यालय में उपलब्ध करना अनिवार्य है अन्यथा कार्य आवंटन निरस्त किया जावेगा। उक्त में से किसी भी दस्तावेज को कम पाये जाने अथवा गलत पाये जाने पर निविदा आमाम्य कर दी जायेगी।

हस्ताक्षर :-.....

नाम :-.....

पता :-.....

टेलीफोन नं.....

मोबाईल नं.....

साँची दूध परिवहनकर्ता हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें :-

- 1- दूध परिवहनकर्ता हेतु निविदा ई-निविदा द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है । जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को नियत दिनांक को समय सीमा में प्राप्त हो जाना चाहिए ।
- 2- निविदाकार द्वारा ई-निविदा प्रस्तुत करने पर यह समझा जावेगा कि उनके द्वारा परिवहनकर्ता निविदा हेतु दी गई विभिन्न सूचनाओं, शर्तों एवम् अनुबन्ध आदि का भलिभाति अध्ययन कर लिया गया है एवम् निर्धारित मार्ग की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है ।
- 3- निविदाकार/आवेदक द्वारा निविदा हेतु ई.एम.डी. राशि रु. 10,000/- ऑनलाईन जमा करनी होगी । अन्य किसी प्रकार जमा ई.एम.डी. मान्य नहीं की जावेगी । ई.एम.डी. राशि जमा न करने की स्थिति में आवेदक की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।
- 4- ई-निविदा में ई.एम.डी राशि की छूट हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को ई-निविदा प्रपत्र (टेण्डर फॉर्म) निशुल्क उपलब्ध रहेंगे तथा उन्हें धरोहर राशि जमा करने में छूट प्राप्त होगी ।
- 5- असफल निविदाकारों की ई.एम.डी राशि एम.पी. ई-टेण्डर्स के नियम अनुसार वापस की जावेगी ।
- 6- आवेदक को दूध एवं दुग्ध पदार्थों के वितरण / परिवहनकर्ता का अनुभव होना चाहिए तथा परिवहनकर्ता का अनुभव रखने वाली पाटियों को वरीयता दी जा सकती है ।
- 7- निविदाकार के पास स्वयं का 1 मै.टन न्यूनतम क्षमता का इन्सूलेटेड वाहन होना आवश्यक है । यदि स्वयं का वाहन नहीं है अथवा स्वयं के वाहन में इन्सूलेटेड बॉडी नहीं है तो निविदा स्वीकार होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर स्वयं का इन्सूलेटेड बॉडी बनवाकर वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर अर्नेस्ट तथा सुरक्षा राशि राजसात की जा सकेगी तथा इस संबंध में प्रबन्ध पक्ष का निर्णय अन्तिम होगा दुग्ध परिवहन हेतु इन्सूलेटेड वाहन निविदा दिनांक को वर्ष 2020 या बाद का पंजीकृत होना अनिवार्य है। वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से कराकर संघ कार्यालय में जमा करानी होगी। नया वाहन क्रय करने की दशा में शपथ - पत्र देना होगा एवम् निविदा स्वीकृत होने पर वाहन क्रय करके वाहन की इन्सूलेटेड बॉडी बनवाकर वितरण कार्य आरम्भ करने के पूर्व संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों एवम् वाहन का निरीक्षण संघ के सक्षम अधिकारियों को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की छाया प्रति संघ कार्यालय में जमा कराना होगी ।
- 8- निविदाकार आवेदक को उसके द्वारा वर्तमान में किये जा रहे व्यापार का टर्न ओवर के सम्बन्ध में विवरण (दस्तावेजी प्रमाण के साथ) प्रस्तुत करना होगा।
- 9- निविदाकार के पास जी.एस.टी.नम्बर होना चाहिये । निविदाकर्ता यदि व्यक्तिगत नाम से निविदा में भाग लेता है तो उसे व्यक्तिगत नाम से जी.एस.टी. नम्बर होना चाहिये

यदि फार्म के नाम से निविदा में भाग लेता है तो फार्म के नाम से जी.एस.टी. नम्बर होना चाहिये । निविदा में भाग लेते समय जी.एस.टी. नम्बर या प्राप्त करने हेतु आवेदन की छाया प्रति संलग्न करना होगा ।

- 10— सफल आवेदक को संघ में रु. 50,000/-सुरक्षा राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा अथवा नगद दस दिवस में जमा करना होगा ।
- 11— निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारण से कार्य नहीं करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निविदाकार की ई.एम.डी. राशि तथा सुरक्षा राशि राजसात करने का अधिकार होगा ।
- 12— निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को निर्धारित सुरक्षा राशि रु. 50,000.00 (रु. पचास हजार मात्र) संघ में जमा करना अनिवार्य है ।
- 13— निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो ई.एम.डी. राशि तथा सुरक्षा राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही आवेदक का आवेदन निरस्त समझा जावेगा ।
- 14— आवश्यकता प्रतिपादित होने पर केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से ही नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा ।
- 15— निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ के साथ रुपये 1000/- के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा ।
- 16— निविदाकार को निविदा भाव पत्र में दरें स्पष्ट वर्णित करनी होंगी । अतः दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग / काटपीट न करें । यदि अंको एवं शब्दों प्रस्तुत दरों में भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत दरों को मान्य किया जाएगा । केवल परिवहन दर प्रतिट्रिप (आना-जाना) अंकित करें ।
- 17— निविदा में निर्देशित दर में वाहन चलाने सम्बन्धी समस्त व्यय, टोल टैक्स आदि सम्मिलित होंगे ।
- 18— ई-निविदा में प्राप्त परिवहन दर समान आने पर लॉटरी पद्धति से निविदाकार का चयन किया जावेगा ।
- 19— निविदाकार / आवेदक दरें निविदा प्रस्तुत दिनांक को प्रचलित डीजल दरों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैं । निविदा अवधि में डीजल दरों में जो भी वृद्धि / कमी होगी उसका प्रभाव परिवहनकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत परिवहन दर में अनुपातिक रूप से दिया जावेगा ।
- 20— किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा ।
- 21— परिवहनकर्ता द्वारा भेजा जाने वाला वाहन यदि रास्तों में खराब होता है तो परिवहनकर्ता का प्रमुख दायित्व रहेगा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा अन्यथा संपूर्ण हानि की वसूली उससे की जायेगी ।
- 22— निविदा प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाला अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्तें आवश्यक रूप से पढ़ कर समझ लें ।

- 23— निविदा स्वीकृति के उपरान्त परिवहनकर्ता की कार्य अवधि तीन वर्षों के लिये प्रभावशील रहेगी । दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्षों की अवधि में सन्तोषप्रद पाए जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि आपसी सहमति से एक-एक वर्ष करके दो वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी ।
- 24— प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। दुग्ध संयंत्र डाक से दूध की चोरी के किसी भी तरह के प्रकरण में पकड़े गए दूध की मूल्य राशि का 100 गुना अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
- 25— अनुबंधित वाहन पर G.P.S. लगाना होगा, जिसका ट्रेकिंग नियंत्रण दुग्ध संघ को सौंपना होगा।
- 26— परिवहनकर्ता को ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के नाम एकाउंट-पेयी रेखांकित 05 चैक हस्ताक्षर युक्त अग्रिम दुग्ध संघ को देना होगा जिसका विशेष परिस्थितियों में दुग्ध संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।
- 27— कार्य आदेश में वर्णित सभी औपचारिकताएँ निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा/निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने पर ई.एम.डी. राशि तथा सुरक्षा राशि भी राजसात की जा सकेगी ।
- 28— ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों को स्वयं उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके निकटस्थ रिश्तेदारों एवम् सुरक्षा ठेकेदार / श्रमिक ठेकेदार को निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी ।
- 29— संघ में जो परिवहनकर्ता वर्तमान में कार्यरत हैं यदि उनके द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाती हैं और यदि वर्तमान परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत होती है तो, कार्य प्रारंभ होने के पूर्व परिवहनकर्ता कार्यकाल की समस्त देनदारियां (अर्थात् केन/क्रट/दूध एवं अन्य राशियां जो बकाया निकलती हैं) चुकता करना होगी। इसके उपरान्त हो कार्य आदेश जारी किया जावेगा । पूर्व में जिन परिवहनकर्ताओं के कार्यकाल में ठेका निरस्त किया गया हो उन पर शास्ति या दण्ड आरोपित किया गया हो, ब्लेक लिस्ट किया गया हो या ग्राहकों की शिकायतें प्राप्त हुई हो, उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

मेरे द्वारा साँची दूध परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली गई है तथा मैं / हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ / हैं । निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है । यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 29 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ एवं मेरी ई.एम.डी. राशि तथा सुरक्षा निधि राजसात करने का प्रबंधन द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु सहमति देता/देती हूँ ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम-----
पता/फोन एवं मोबाईल नम्बर-----

वित्तीय बिड (केवल ऑनलाईन ही भरें) प्रारूप

क्र.	मार्ग का नाम	परिवहन दर (अंको में) प्रतिट्रिप आना-जाना	परिवहन दर (शब्दों में) प्रतिट्रिप आना-जाना
1.	दुग्ध संयंत्र बानमौर से मुरैना-जौरा मार्ग दूरी 98 कि.मी आना-जाना	केवल ऑनलाईन ही भरे।	केवल ऑनलाईन ही भरे।

नोट:- निविदाकार को परिवहन दर प्रस्तुत करते समय यह ध्यान रखना होगा कि वे अंग्रेजी के अंकों एवं शब्दों में दरें स्पष्ट रूप से अंकित करें। दरों में किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत दरों को मान्य किया जाएगा।

निविदाकार का परिचय

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्व प्रमाणित)

1. निविदाकर्ता का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. स्थाई पता
(प्रमाण सहित)
4. वर्तमान व्यवसाय का विवरण
5. दूरभाष/मोबाईल नम्बर
6. ई-मेल एड्रेस
7. शैक्षणिक योग्यता
8. प्रस्तावित मार्ग का नाम
9. निविदाकार/फर्म का नाम/यदि
फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनर
शिप फर्म की पूर्ण जानकारी
(दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है।
10. पेन नम्बर

मेरे द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्यसंबंधी इस फाम के साथ संलग्न समस्त शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूँ और मान्य करता/करती हूँ। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर —

नाम —

दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता / वितरण हेतु अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक ----- को मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मंदिर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) एवं मैसर्स / श्री ----- पुत्र श्री ----- वाहन स्वामी के मध्य दुग्ध संयंत्र बानमौर से मुरैना-जौरा मार्ग पर दुग्ध एवम् दुग्ध पदार्थ परिवहन एवम् वितरण कार्य हेतु बतौर परिवहनकर्ता वाहन क्रमांक ----- (इन्सूलेटेड बॉडी) व मॉडल वर्ष ----- दिनांक ----- से ----- तक की अवधि हेतु दर रुपये (-----) प्रतिट्रिप पर अनुबन्धित किया जाता है । ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को आगे के पदों में केवल "संघ" शब्द से श्री ----- पुत्र श्री ----- को "परिवहनकर्ता" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा, तदनुसार उभय पक्षों के मध्य यह अनुबन्ध निम्न शर्तों के अधीन निष्पादित किया जा रहा है ।

- 1- यह कि परिवहनकर्ता होने पर परिवहनकर्ता निर्धारित मार्गों एवं स्थानों पर अपने अनुबन्धित वाहन द्वारा दुग्ध वितरण करेगा। मार्ग केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी एवं इसमें आवश्यकतानुसार समय - समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा जो परिवहनकर्ता पर बन्धनकारी होगा एवं मार्ग की दूरी निविदा में दर्शाए गए विक्रय केन्द्रों में अन्य केन्द्र बढ़ाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ का होगा, इसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा । यदि वाहन दर्शाये गये अधिकतम किलो मीटर से दस किलो मीटर कम/ज्यादा चलती है तो उसकी समानुपातिक रूप से कम/ज्यादा दर निर्धारित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा।
- 2- यह कि निविदा में प्रस्तुत दर में वाहन चलाने सम्बन्धी समस्त व्यय,टोल टैक्स व दूध की क्रटस तथा केन वाहन में लोड करने व मार्ग के विक्रय केन्द्रों पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में केन्द्रों से क्रट व केन आदि वापस लेकर डेयरी संयंत्र बानमौर में चालान के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित व्यक्ति को सौंपने के लिये श्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।
- 3- निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व परिवहनकर्ता को संघ में रुपये 100/-नाम मात्र के शुल्क जमा कर सदस्यता प्राप्त करना होगी।
- 4- अ- परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा जितनी क्रट दुग्ध संयंत्र से प्राप्त की हैं उतने ही क्रट रिटर्न लाते वक्त दुग्ध संयंत्र में वापस कर रसीद प्राप्त करना चाहिए अन्यथा

जितने क्रेट कम वापस किये जायेगे, उतने क्रेटो की कीमत की राशि परिवहनकर्ता के बिल में से काटी जावेगी।

ब- विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन निर्धारित सामग्री परिवहनकर्ता को चालान में दर्शाई गई मात्रा के अनुसार उतारना होगा एवं त्रुटि पाए जाने पर समस्त जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की ही होगी एवं इसी प्रकार रिटर्न वाली सामग्री भी पूर्ण रूप से डेयरी प्लान्ट, केन्द्रों से एकत्रित कर पूर्ण रूप से डेयरी प्लान्ट में वापस करनी होगी। यदि किसी प्रकार की कमी पाई गई तो वस्तु की कीमत की कुल रकम परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी।

5- यह कि, वाहन में चालक तथा अटेंडेंट परिवहनकर्ता ही नियुक्त करेगा जिनका वेतन व अन्य व्यय पृथक् से देय नहीं होगा तथा परिवहनकर्ता वाहन के साथ चलने वाले वाहन चालक नियुक्त कर्मचारियों के नाम फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। परिवहनकर्ता द्वारा अधिकृत परिचालक/वाहन चालक, संघ के वितरण स्थल पर वितरण शीट में वाहन आने के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण में होने वाले दुग्ध के परिवहन के दौरान गाड़ी बिगड़ जाने की स्थिति में परिवहनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह दूसरी गाड़ी भेजकर या दूसरा इंतजाम करके समय पर कार्य सम्पन्न करें। अन्यथा समय पर दुग्ध वितरण न होने से कोई भी हानि हुई तो वह परिवहनकर्ता से वसूली योग्य होगी। ऐसी घटना होने पर निविदा निरस्त करके परिवहनकर्ता की जमा सुरक्षा राशि राजसात की जा सकेगी।

6- यह कि वाहन की खराबी अथवा परिवहनकर्ता पक्ष की ओर किसी भी प्रकार से वाहन के विलम्ब होने या दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दुग्ध खराब होने पर या टूट -फूट होने पर जो मूल्यांकित हानि होगी उसका सम्पूर्ण दायित्व परिवहनकर्ता का रहेगा।

7- यह कि परिवहनकर्ता हर पखवाड़े में एक दिन कार्यालय में आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के सम्बन्ध में समाधान कर लें अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जायेगी जो परिवहनकर्ता को मान्य करनी होगी।

8- यह कि परिवहनकर्ता अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेगे जितनी कि शीट चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता है तो प्रति पैकेट एवम् क्रेट/केन के मूल्य की 20 गुना तक राशि अर्थदण्ड स्वरूप काटी जावेगी। दूसरी बार पुनरावृत्ति होने पर ठेका समाप्त कर सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी।

9- यह कि परिवहनकर्ता/वाहन चालक, परिवहनकर्ता के कर्मचारी वापसी में संघ की सभी क्रेट्स केन लायेगे और दुग्ध चालान की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की काटा - पीटी नहीं करेगे न ही दग्ध की मात्रा स्वेच्छा से घटाएंगे/बढ़ाएंगे। दुग्ध विक्रेता की मांग की मात्रा से अधिक प्रदाय होने पर वापसी की पूरी दूध की रकम परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी तथा ठेका निरस्त किया जा सकेगा।

10—यह कि दुग्ध वितरण केन्द्र पर भेजे गये दुग्ध को परिवहनकर्ता या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं करेंगे । ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई दूध की कीमत से दुगनी कीमत वसूल की जावेगी ।

11— यह कि परिवहनकर्ता या परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि वितरण किये जाने वाले दूध की मात्रा स्तर में किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा तो उसकी जबाबदारी परिवहनकर्ता की होगी तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर दुग्ध संघ के अधिकारी मौके पर जाने के समय यदि प्रथम दृष्टि में अपमिश्रित दूध की संघ प्रयोगशाला में जांच में अपमिश्रण की पुष्टि हुई तो तुरन्त निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को होगा एवं सुरक्षा राशि भी जप्त कर ली जावेगी ।

12— यह कि परिवहनकर्ता/कर्मचारी द्वारा वितरित किये जाने वाले दूध की रिटर्न (प्रयोगशाला) परीक्षण में अपमिश्रण की पुष्टि होती है तो ठेका निरस्त करके सुरक्षा राशि राजसात की जा सकेगी।

13— यह कि परिवहनकर्ता या परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय एवम् डेयरी संयंत्र में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ऐसे कर्मचारी की शिकायत पाये जाने पर कर्मचारी को कार्य से परिवहनकर्ता को तुरन्त हटा देना होगा । परिवहनकर्ता द्वारा कार्यालय में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उसका ठेका तुरन्त निरस्त कर उसका नाम ब्लैक लिस्ट में लगाया जावेगा ।

14—यह कि ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ में सुरक्षा गार्ड द्वारा जांच करने की दशा में परिवहनकर्ता के अटेन्डेन्ट दुग्ध के क्रट उठाकर निरीक्षण को सम्पन्न करावेगा सुरक्षा गार्ड के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जावेगा व उसके पूर्ण जांच किये जाने में सहयोग देगे। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जांच पड़ताल होने के पश्चात् ही दुग्ध वितरण वाहन डेरी से बाहर जाने दिया जावेगा।

15—यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं अटेन्डेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि इनके अतिरिक्त व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो परिवहनकर्ता का ठेका निरस्त किया जा सकेगा तथा उन बाहरी व्यक्तियों के प्रति कोई दायित्व संघ वहन नहीं करेगा एवं रुपये 50/- (रुपये पचास मात्र) प्रति व्यक्ति दर से अर्धदण्ड वसूल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। विशेष परिस्थितियों में वाहन यदि निर्धारित समय में 15 मिनट तक की अवधि में विलम्ब से आता है तो उसकी छूट दी जावेगी तत्पश्चात् अन्य वाहन की व्यवस्था में जो वास्तविक देय होगा या ठेके के अनुसार दिया जाने वाला किराया होगा उसका दुगना (जो भी अधिक देय हो) परिवहनकर्ता से वसूल किया जावेगा । जितने दिन ठेकेदार दुग्ध वितरण के लिए

अपना वाहन नहीं भेजेगे, उतने दिन के लिए उपरोक्तानुसार ही प्रतिदिन के हिसाब से वसूली की जावेगी । इसके अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था के लिये रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) पृथक से वसूल किया जावेगा ।

16—यह कि दुग्ध वितरण के पश्चात् रिटर्न लेकर संघ द्वारा निर्धारित समय में डेयरी संयंत्र में वाहन आना अनिवार्य हैं। विशेष परिस्थिति में वाहन यदि 15 मिनट की अवधि में विलम्ब से आता है तो छूट दी जावेगी। तत्पश्चात् रुपये 100/- (रुपये सौ मात्र) प्रति घन्टा विलम्ब से आने के लिये पेनाल्टी के रूप में परिवहनकर्ता के बिल से कटौती की जा सकेगी।

17—यह कि परिवहनकर्ता का वाहन खराब हो जाता है तो प्रभारी विपणन/प्रबंधक विपणन की लिखित अनुमति से अस्थाई रूप से वह दूसरी वाहन की व्यवस्था करेगा। जिसकी अधिकतम अवधि दस (10) दिन की रहेगी। तत्पश्चात् अनुबंधित वाहन कार्य पर पुनः लगाना होगा। ऐसा न करने पर ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर का होगा।

18—यह कि परिवहनकर्ता का वाहन खराब होने पर जो अस्थाई व्यवस्था परिवहनकर्ता करेगा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी इस हेतु लिखित जानकारी कार्यालय को देनी होगी।

19—मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना परिवहनकर्ता दुग्ध या दुग्ध पैकेट/केनो से भरी गाड़ी के साथ किसी भी बाहरी व्यक्तियों को या अन्य सामान को नहीं ले जा सकेगा। परिवहन वाहन में अन्य कोई सामान, प्रतिस्पर्धी उत्पादों/प्रतिबंधित वस्तुओं का परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा, ऐसा करते पाये जाने पर अनुबंध तत्काल निरस्त किया जाकर सख्ता राशि राजसात कर ली जावेगी।

20—देयको का भुगतान माह में एक बार किया जाएगा, द्वितीय पक्ष को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक देयक जमा कराना होगा जिसका भुगतान संघ द्वारा देयक प्राप्त होने के उपरान्त चैक/आर.टी.जी.एस. द्वारा किया जावेगा । विवाद की स्थिति में देयक का भुगतान विलम्बित होने पर संघ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

21—वाहन चालक एवं अटेंडेंट डेयरी डाक से दूध के पैकेट मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार प्राप्त करेगा। अभद्र व्यवहार करने या आदेशों की अवहेलना करने पर प्रबंधक (प्लान्ट ऑपरेशन) द्वारा शिकायत करने पर दोषी कर्मचारों को परिवहनकर्ता तुरन्त बदल देगा।

22—परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध संघ के पास कुल सुरक्षा राशि रुपये 50,000 /— (पचास हजार) जमा कराई जावेगी। दुग्ध संघ में जमा की गई सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

23—वाहन का आकस्मिक निरीक्षण वितरण के दौरान किसी भी स्थान पर ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के अधिकारियों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत पर्यवेक्षक को करने का अधिकार होगा उसे निरीक्षण करने से रोकना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करने पर निविदा निरस्त करने का समस्त अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

24—परिवहनकर्ता को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा और ना ही उप परिवहनकर्ता नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका तुरन्त निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को होगा।

25—ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को बकाया देय रकम परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि से वसूल की जावेगी। बकाया राशि प्रतिभूति राशि से अधिक होने की स्थिति में बकाया राशि की वसूली परिवहनकर्ता के देयकों से की जावेगी।

26—डैरी संयंत्र परिसर के अन्दर आने-वाले वाहन निर्धारित (20 किलो मीटर) की रफ्तार से ज्यादा गति से नहीं चलाए जावे और न डैरी संयंत्र परिसर में वाहन की साफ — सफाई की जावें। यदि ऐसा किया गया तो रुपये 100 /— (रुपये सौ केवल) परिवहनकर्ता पर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके देयक से काटा जावेगा।

27—परिवहनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरें स्वीकृत हाने पर उसी भाव में परिवहनकर्ता को अविधि में अपना अनुबधित स्वयं का वाहन चलायेगा। यदि परिवहनकर्ता द्वारा चलाने के लिये असमर्थता की तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिवहनकर्ता की निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा तथा सुरक्षा राशि जप्त करने का अधिकार होगा।

28—उपरोक्त किसी भी शर्तों एवं ग्वालियर दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वारा दिये गये निर्देशों, शर्तों एवं सूचनाओं की अवेहलना होने की स्थिति में ठेका निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को होगा।

29—परिवहनकर्ता को खाली क्रटो का लेखा—जोखा स्वयं रखना होगा एवम् प्रत्येक 15 दिवस के अन्त में स्वयं कार्यालय में आकर मिलान करना होगा। मिलान न करने की स्थिति में संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इसके लिये स्वयं परिवहनकर्ता उत्तरदायी

होगा। बकाया क्रेडिट का कटौती परिवहन कर्ता के देयक से क्रय मूल्य के आधार पर किया जावेगा।

30—परिवहनकर्ता द्वारा निष्पादित इस अनुबन्ध की शर्तों की अवहेलना करने एवं संतोषप्रद काम नहीं होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर बिना कोई कारण बताये ठेका समाप्त कर सकेंगे एवम् ठेका समाप्त किये जाने पर परिवहनकर्ता किसी क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा।

31—यह अनुबन्ध तीन वर्षों के लिये प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्षों की अवधि में सन्तोषप्रद पाए जाने पर अनुबन्ध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि आपसी सहमति से एक-एक वर्ष करके दो वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेंगी।

32—यदि परिवहनकर्ता शर्तों के परिपालन में असमर्थ है या ठेका समाप्त करना चाहता है तो उसको दो माह पूर्व संघ को लिखित सूचना देना होगा, ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रतिभूति राशि एवम् शेष देयका की राशि राजसात कर ली जावेगी। इसी प्रकार कार्य में अनियमितता पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी परिवहनकर्ता को 01 माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकेंगे।

33—परिवहनकर्ता के अनुबन्ध की सभी अथवा किसी भी निबन्धन एवं शर्तों के भंग करने पर इस अनुबन्ध को निरस्त करने पर कोई अन्य व्यवस्था करने के लिये ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर स्वतंत्र होगा, इस प्रकार के अनुबन्ध के निरस्त होने की स्थिति में परिवहनकर्ता द्वारा ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के पास जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी एवं इस प्रकार के अनुबन्ध के निरस्त होने के कारण ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का भुगतान परिवहनकर्ता से रिस्क एण्ड कोस्ट आधार पर दायित्वों का भुगतान ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ को मांग करने पर तुरन्त करना होगा। क्षतियों एवम् हानियों का निर्धारण अथवा क्षतियों एवम् हानियों जो परिवहनकर्ता से वसूल की जानी है, के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

34—ठेके के अवधि में डीजल, ऑयल की दरों में जो वृद्धि/कमी होती है तो समान अनुपातिक रूप से वृद्धि/कमी परिवहन दरों में की जावेगी।

35— अनुबंधित वाहन पर G.P.S. लगाना होगा, जिसका ट्रेकिंग नियंत्रण दुग्ध संघ को सौपना होगा।

36—अनुबंधित वाहन से केवल दुग्ध संघ द्वारा निर्मित दूध दुग्ध उत्पादों, घी आदि का परिवहन किया जावेगा। अनुबंधित वाहन से प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड के दूध एवं दुग्ध उत्पादों या

अन्य प्रतिबंधित सामग्री का परिवहन नहीं किया जावेगा। ऐसा करते पाये जाने पर परिवहनकर्ता का कार्य समाप्त किया जा सकेगा।

37—परिवहनकर्ता को शासन द्वारा निर्धारित ई.पी.एफ तथा ई.एस.आई संबंधी समस्त कानूनी प्रावधानों का स्वयं के व्यय पर पूर्ण रूपेण पालन करना अनिवार्य होगा एवं परिवहनकर्ता इनके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा।

38—दूध उत्पादों की उत्कृष्ट गुणात्मक स्तर को बनाये रखने वास्ते परिवहनकर्ता इन्सूलेटेड वाहन परिवहन वितरण हेतु संघ को उपलब्ध करावेंगे, उपलब्ध न कराने की स्थिति में परिवहन ठेका निरस्त हो जाएगा।

39—परिवहनकर्ता को अपने वाहन का बीमा, मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा कार्यरत ड्रायवर एवम् परिचारक, क्लीनर का बीमा कराना अनिवार्य होगा। वाहन की फिटनेस RTO से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा।

40— निविदा में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि केन्द्र सरकार/राज्य शासन/स्थानीय प्रशासन द्वारा अन्य कानून/कर प्रभावशील किए जाते हैं तो ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर पालन करना अनिवार्य होगा।

41—परिवहनकर्ता की जिम्मेवारी होगी की वह अपने वाहन का परमिट, बीमा, फिटनेस, मोटरयान अधिनियम में प्रावधानों के अन्तर्गत अद्यतन रखे अन्यथा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा।

42—अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में विवाद को निर्णयार्थ आर्बीट्रेटर प्रबंध संचालक एम.पी.सी.डी.एफ भोपाल के समक्ष रखा जायेगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा जो कि अन्तिम होगा।

43—यह कि किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सहकारी न्यायालय ग्वालियर होगा।

44—परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर संघ के द्वारा अनुबन्ध में कोई नई शर्त सम्मिलित की जा सकती हैं। ऐसी शर्त के सम्बन्ध में परस्पर दोनों पक्षों के द्वारा चर्चा कर निर्णय लिया जावेगा जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

45— किसी कण्डिका में अस्पष्टता या टंकण त्रुटि होने पर उसे स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

46—उपरोक्त अनुबन्ध के शर्तों के अलावा समय —समय पर संघ द्वारा परिवहनकर्ता को जो भी लिखित निर्देश दिये जावेगे वह इस अनुबन्ध के भाग माने जावेगे तथा निविदा की शर्तें भी निविदा का भाग मानी जावेगी।

मैं पिता/पति/पत्नी साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहनकर्ता अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमती को घोषित करता/करती हूँ।

परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पता

पिन कोड नम्बर.....

मोबाईल नम्बर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
ग्वालियर

प्रभारी विपणन

॥ गवाह ॥

1— हस्ताक्षर

नाम

पिता

पता

.....

.....

2— हस्ताक्षर

नाम

पिता

पता

.....

.....

**दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का
शपथ पत्र का प्रारूप**

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

- 1— ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा साँची दुग्ध परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा डेयरी संयंत्र बानमौर से मुरैना-जौरा मार्ग के लिए निविदा में भाग लिया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं ग्वालियर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या परिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक.....ग्वालियर
.....हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत सम्पूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक.....ग्वालियर
.....हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

वाहन उपलब्ध करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

- 1— ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा साँची दुग्ध परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा डेयरी संयंत्र बानमौर से मुरैना-जौरा मार्ग के लिए निविदा में भाग लिया गया है। यदि उक्त निविदा स्वीकृत होती है तो मैं निविदा में उल्लेखित शर्तों के अनुसार स्वयं का नवीन वर्ष 2020 के बाद का इंसुलेटेड वाहन सूचना प्राप्ति के एक माह के अन्दर लगाने हेतु वचनबद्ध हूँ अन्यथा मेरा आवेदन अस्वीकार किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

इति दिनांक.....ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद सख्या 01 में वर्णीत सम्पूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक.....ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मीनेट नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

- 1— ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा साँची दुग्ध परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा डेयरी संयंत्र बानमौर से मुरैना—जौरा मार्ग के लिए निविदा में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मुझे एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मीनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।

इति दिनांक.....ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत सम्पूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक.....ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी
शपथ पत्र का प्रारूप

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

- 1— ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वारा दुग्ध परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा डेयरी संयंत्र बानमौर से मुरैना-जौरा मार्ग हेतु साँची दुग्ध परिवहनकर्ता ई-निविदा में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक.....ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत सम्पूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक.....ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....